भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

<u>राज्य सभा</u>

<u>अतारांकित प्रश्न सं. 2620</u>

(जिसका उत्तर मंगलवार, 21 दिसंबर, 2021/30 अग्रहायण, 1943 (शक) को दिया जाना है)

'कृषिगत उत्पादों पर जीएसटी'

2620#श्री डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी:

क्या ***वित्त***मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कृषिगत उत्पादों और उपकरणों पर वसूले जाने वाले जीएसटी (माल एवं सेवा कर) का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की उच्च जीएसटी दर वाले कृषिगत उपकरणों और संबंधित उत्पादों की खरीद के लिए गरीब और सीमांत किसानों को राजसहायता प्रदान करने की कोई योजना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में वित्त राज्य मंत्री

(श्री पंकज चौधरी)

(क): जीएसटी की दरों को जीएसटी परिषद् की सिफारिश की आधार पर निर्धारित किया जाता है। व्यापक रूप से कृषि क्षेत्र से संबंधित जीएसटी की दरें इस प्रकार हैः-

(I) कृषि उत्पाद जैसे कि ताजे फल, ताजी सब्जियां; गेहूं, चावल, दालें आदि उनसे भिन्न जो कि यूनिट कंटेनर में बंद हो, पर जीएसटी की दर शून्य है।

(II) कृषि में प्रयोग होने वाले हस्तचालित उपकरणों पर भी जीएसटी की दर शून्य है।

(III) उपस्कर और मशीनरी जिनका प्रयोग अन्नय रूप से कृषि संबंधी क्रिया-कलापों में होता है, पर सामान्यतया 12% की रियायती दर से जीएसटी लगाई जाती है।

(IV) सामान्य रूप से प्रयोग होने वाले मदों पर लगाई जाने वाली जीएसटी की दर 12% या 18% होती है।

(ख) तथा (ग): भारत सरकार ने एक सीधा आय समर्थन कार्यक्रम के शुरू किए जाने की घोषणा की है, जिसे प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि (PMKISAN) के नाम से जाना जाता है जिसके अंतर्गत उन छोटे और सीमांत किसानों को जिनकी खेती किए जाने वाली भूमि 2 हेक्टेयर से कम है को प्रतिवर्ष 6 हजार रुपए की सीधी आर्थिक सहायता दी जाएगी, जिससे किसान अपने इनपुट्स की खरीद कर सकेगें। राज्यों के द्वारा भी इसी प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं।

इसके अलावा किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में अप्रैल 2014 से एक सब-मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मेकेनाईजेशन (एसएमएएम) को भी लागू किया जा रहा है। इस योजना के उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को भी मुख्य धारा में लाकर, 'जहां नहीं पहुंचे हैं वहां पहुंचने' के उद्देश्य के लक्ष्य को पूरा करना है जो कि छोटे और सीमांत किसानों को मुख्य धारा में लाकर और उनको कृषि यंत्रीकरण का लाभ उपलब्ध कराकर किया जाना है और ऐसा कस्टम हायरिंग सेंटर को बढ़ावा देकर, हाईटेक और हाई वैल्यू फार्म उपकरणों का एक केंद्र (HUB) विभिन्न कृषि उपकरणों का संवितरण करके, प्रदर्शन और क्षमता निर्माण क्रिया-कलापों के माध्यम से स्टेक-होल्डरों के बीच जागरुकता पैदा करके और देश भर में अवस्थित विनिर्दिष्ट परीक्षण केंद्रों पर परीक्षण और प्रमाणन के क्रिया-कलाप को सुनिश्चित करके किया जाना है।

एसएमएएम के अन्तर्गत वर्ष-वार जारी धन इस प्रकार है:

वर्ष-वार	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22
जारी धन (करोड़रु. में)	181.35	151.74	363.63	791.04	1126.77	992.19	1026.63	244.96 (अद्यतन)
